सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

1-31 दिसंबर, 2023 वर्ष-1 अंक-17/18, संयुक्तांक

निःशुल्क प्रति

विश्व में सबसे आधुनिक होगा भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम

नए कानूनों ने न्याय प्रणाली को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया

नए आपराधिक कानून 'दंड नहीं, न्याय केन्द्रित' हैं

सुलभ, पारदर्शी और जवाबदेह होगी न्याय प्रक्रिया

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

मेक इन इंडिया' की तर्ज पर 'वेड इन इंडिया' अभियान शुरू करें 20

विकसित देशों को 2050 से पहले अपने कार्बन उत्सर्जन... 22

नई परंपरा से 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मिली शक्ति 24

प्रधानमंत्री ने खादी को पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाया 26

जन-जन तक पहुंचे पीएम की योजना 29

गेस्ट कॉलम 30

विशेष रिपोर्ट

05 देश की आपराधिक न्याय प्रणाली...

18 विश्व का सबसे आधुनिक बनेगा हमारा...

28 सहकारी संघवाद के युग में उदार तरीके से मतभेदों...

संपादक की कलम से...

बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

> सरकार का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है, जो न केवल अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, बल्कि कानून के शासन को भी मजबूती से कायम रखे। इन कानूनों को एक जवाबदेह पुलिस प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है।

देश हित सर्वोपरि है। हमारी संसद ने आपराधिक न्याय प्रणाली में तीन नए कानून बनाकर देश हित में ठोस कदम उठाया है। ये कानून-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 न्याय के अद्वितीय भारतीय लोकाचार पर आधारित हैं, दंड पर नहीं। इस प्रकार ये समय सापेक्ष हैं। ये कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। पहले के कानूनों का उद्देश्य मुख्यतः ब्रिटिश शासकों की सुरक्षा करना था। अब, एक नया युग शुरू हो गया है, जो 'नागरिक पहले-न्याय पहले-गरिमा पहले' के सिद्धांतों पर आधारित है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने संसद के दोनों सदनों में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए तीन नए कानूनों की खूबियों पर प्रकाश डाला। राजद्रोह पर पूर्ववर्ती कानून का उदाहरण देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और अपने विचार साझा करने वालों को दंडित नहीं करता है।

नए कानूनों में कई उल्लेखनीय समावेशन हैं, जैसे-महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने की प्रमुखता। वे विभिन्न अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं और आतंकवाद तथा संगठित अपराध को संबोधित करने के लिए नई दंड धाराएं पेश करते हैं। जीरो-एफआईआर और ई-एफआईआर को शामिल करने से पुलिस की आसान पहुंच सुनिश्चित होती है और एफआईआर दर्ज करने से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने तक की यात्रा के लिए एक विशिष्ट समयरेखा निर्धारित करना, समयबद्ध तरीके से न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सरकार का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है, जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, बल्कि कानून के शासन को भी मजबूती से कायम रखे। इन कानूनों में जांच के लिए आधुनिक संचार उपकरणों को अपनाकर एक जवाबदेह पुलिस प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है। वे माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ प्रतिबद्धता के संदर्भ में 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांत के साथ भी जुड़े हुए हैं।

'सजग भारत' का यह अंक तीन नए आपराधिक कानूनों और उनके संभावित प्रभाव पर प्रकाश डालता है। हमारे प्रयास में आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव sajag-bharat@bprd.nic.in पर भेजें।

जय हिंद!

आज हम देश के छोटे शहरों के विकास पर भी निरंतर बल दे रहे हैं, जो विकसित भारत की भव्य ईमारत को सशक्त करने वाले हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मोदी जी ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाई है और आने वाले इन नए कानूनों की आत्मा, सोच, शरीर सब भारतीय है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सरल होगी हमारी न्यायिक व्यवस्था।

श्री निशीथ प्रमाणिक
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

छोटे किसानों के कल्याण के लिए आज पूरे देश में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। जब अधिक से अधिक किसान भाई-बहन इनसे जुड़ेंगे तो उनकी ताकत और बढ़ेगी। आज देशभर में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी लखपति दीदियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इस मुहिम को और मजबूती दे रही है।

श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

विकसित भारत संकल्प यात्रा, ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है, जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए।

श्री अजय मिश्रा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोक सभा में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब दिया।

गृह मंत्रालय
भारत सरकार

देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को गुलामी की जंजीरों से मिली मुक्ति

केंद्र सरकार ने पुराने आपराधिक कानूनों को खत्म कर दिया है। इसके पीछे मंशा लोगों को सहूलियत प्रदान करना है। जहां जरूरत हो वहां सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत नहीं हो वहां सरकार का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। पीछे हटाने वाले औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर उपनिवेशवाद की बेड़ियों को तोड़ना हमारे लिए जरूरी है, तभी भारत सही मायने में प्रगति कर सकता है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

ब्यूरो

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्रण को समर्पित हो। पंच यानि पांच प्रण में से एक प्रण यह भी था कि गुलामी की सभी निशानियों को

समय पर न्याय

- कानून लागू होने के बाद अधिकतम 3 साल में मिल जाएगा न्याय, तारीख पर तारीख से मिलेगी मुक्ति
- 45 धाराओं में टाइमलाइन जोड़ी गई
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत देने पर 3 दिन में एफआईआर दर्ज
- रेप के मामलों की मेडिकल जांच रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी
- पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय होंगे
- अनुपस्थिति की स्थिति में घोषित अपराधियों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर मुकदमा
- आपराधिक मामलों में मुकदमे की समाप्ति के 45 दिनों के अंदर निर्णय देना होगा
- अभियोजन की मंजूरी, दस्तावेजों की आपूर्ति, कार्यवाही, मुक्ति याचिका दायर करना, आरोप तय करना, निर्णय की घोषणा और दया याचिका दायर करना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य है।
- आपराधिक कार्यवाही में दो से अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं है।
- समन जारी करने, अमल करने और अदालत के समक्ष साक्ष्य जमा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग अदालती कार्यवाही से जुड़ी अनावश्यक देरी को दूर करता है।

दंड नहीं न्याय केंद्रित

सामुदायिक सजा: 6 अपराधों में कम्यूनिटी सर्विसेज को समाहित किया गया

भारतीय न्याय दर्शन के अनुरूप

5000 रुपए से कम मूल्य की संपत्ति चोरी पर कम्यूनिटी सर्विसेज का प्रावधान

नए कानून, हमारी सभ्यता और संस्कृति में रची बसी न्याय की अवधारणा पर आधारित है

यह देश के नागरिक को न्याय देगी। इससे पूर्व कानून केवल दोषी को दंड देने पर केंद्रित थे।

'न्याय' शब्द का परिप्रेक्ष्य काफी विस्तृत है, जिसके अंतर्गत पीड़ित और अपराधी दोनों शामिल हैं।

ये कानून आपराधिक न्याय तंत्र को पहले से अधिक सुगम, सुलभ और सहज बनाते हैं।

पूरी प्रक्रिया के दौरान पीड़ित अधिकारों का विस्तार किया गया है और पीड़ित की परिभाषा को आरोपी केंद्रित दृष्टिकोण से अलग कर दिया गया है।

नए कानून में गवाहों को बिना किसी डर, धमकी, पक्षपात या प्रलोभन के सबूत पेश करने की सुरक्षा देकर न्याय वितरण को बढ़ावा देने के लिए गवाह संरक्षण को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

समाप्त करना। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किए गए इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एवीडेंस एक्ट, कानूनों को सरकार ने समाप्त कर दिया और इसकी जगह तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 बना दिया। जिसका उद्देश्य राष्ट्र की अद्वितीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान की रक्षा करना तथा उसे पुष्ट करना है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से यह भी कहा था कि भारत के एक हजार साल की गुलामी और एक हजार साल के भव्य भारत के बीच पड़ाव पर हम खड़े हैं। अब हमें न रुकना है और न ही दुविधा में जीना है। ये तीनों कानून एक प्रकार से प्रधानमंत्री के संकल्पों की अनुपालना करने वाले हैं। आजादी से पहले बनाए गए कानून में न्याय की जगह दंड देने का ज्यादा प्रावधान था, लेकिन अब देश की न्याय प्रणाली को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिल गई है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने विधेयक

अब भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरूआत होगी, जो पूर्णतया भारतीय होगा। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से चलेगी।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

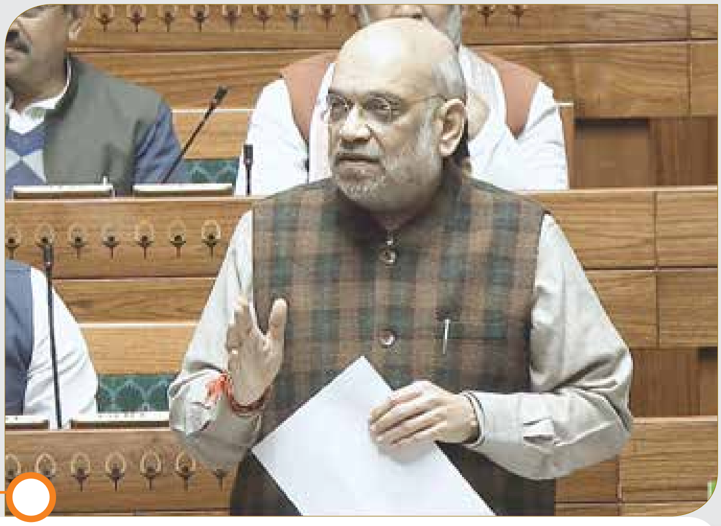

महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित कानून

- महिलाओं व बच्चों के अपराध से संबंधित 37 धाराएँ हैं जिनमें लगभग 4 नए प्रावधान है और बाकि में कुछ संशोधन
- महिला एवं बच्चे के खिलाफ अपराध को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के एक नए अध्याय-V के तहत समेकित किया गया है।
- 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के सामूहिक दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है।
- झूठे वादे या छिपी हुई पहचान के तहत यौन संबंध बनाना अब एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा।
- यदि किसी महिला की अंतरंग गतिविधियों में ताक-झांक और हमला करने के मकसद से निर्वस्त्र किया जाता है तो वह अपराध है, अपराधी चाहे किसी भी लिंग का हो।
- अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा हो तो उसके बदले परिवार की वयस्क महिला को सम्मन दिया जा सकता है।
- चिकित्सकों को बलात्कार की पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजनी अनिवार्य है।
- यौन अपराधों के लिए, एक महिला मजिस्ट्रेट पीड़िता का बयान दर्ज करेगी, और जहां एक महिला मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, वहां एक महिला की उपस्थिति में बयान दर्ज किया जाएगा।
- किसी भी अपराध को करने के लिए बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना या संलग्न करना दंडनीय बनाया गया है।
- बच्चे के अपहरण, खरीद-फरोख्त के अपराध में लड़की और लड़के दोनों के लिए एक समान उम्र का प्रावधान है।
- नाबालिग लड़की की खरीद के अपराध और विदेश से लड़की के आयात के अपराध को लड़की और लड़के दोनों को शामिल करने के लिए लिंग तटस्थ बना दिया गया है।

पेश करते हुए कहा था कि हम पुराने कानूनों को बदलने के लिए अगस्त, 2019 से ही विचार-विमर्श कर रहे थे। आज हमने सिर्फ कानूनों के नाम नहीं बदले हैं, बल्कि इनके उद्देश्य के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इन तीनों कानून का उद्देश्य दंड देने का नहीं है, बल्कि न्याय देने का है, इनमें न्याय का विचार है। हमारे भारतीय विचार में न्याय एक प्रकार से अंब्रेला टर्म है। 'न्याय' शब्द में गुनाह करने वाला और विक्टिम, जिसको गुनाह के कारण भुगतना पड़ा है, दोनों को समाहित करके न्याय की एक संपूर्ण कल्पना है।

डायरेक्टरेट ऑफ प्रॉसिक्यूशन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के न्याय प्रक्रिया से भ्रष्टाचार खत्म करने की सोच के अनुरूप अनेक फैसले लिए गये

राज्य और जिले दोनों स्तर पर डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन का प्रावधान ।

बीएनएसएस धारा 20 द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ प्रॉसिक्यूशन की स्थापना की गई है और इसके तहत विभिन्न प्राधिकरणों की पात्रता, कार्यों और शक्तियों को परिभाषित किया गया है।

प्रॉसिक्यूशन अधिकारियों के विभिन्न स्तरों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया जिससे डिजायर्ड कोआर्डिनेशन सुनिश्चित होगा।

राज्य सरकार के विवेक के अनुसार, प्रॉसिक्यूशन संबंधी एक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट स्थापित करने का भी प्रावधान है। निदेशक प्रॉसिक्यूशन, उप निदेशक प्रॉसिक्यूशन और सहायक निदेशक प्रॉसिक्यूशन की नियुक्ति के मानदंड को संशोधित किया गया है।

अभियोजन के जिला स्तर के अधिकारियों को जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और अपील दायर करने की व्यवहार्यता पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया है।

ट्रायल इन एब्सेंशिया

मुकदमे में तेजी लाने के लिए, अदालत द्वारा घोषित अपराधियों के खिलाफ अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू करना आरोप तय होने से 90 दिनों के भीतर होगा।

घोषित अपराधियों के रूप में घोषित व्यक्तियों के मामलों को संबोधित करने के लिए उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू किया गया है।

साक्ष्य की प्रस्तुति से लेकर अंतिम निर्णय और उचित सजा के निर्धारण तक - अनुपस्थिति ढांचे में मुकदमा पूरी न्यायिक प्रक्रिया को शामिल करता है।

राज्य के खर्च पर घोषित अपराधी को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के साथ-साथ मुकदमे के दौरान फरार व्यक्ति के उपस्थित होने पर साक्ष्य की जांच करने की अनुमति देकर निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जाती है।

तकनीक का उपयोग

- विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनानी है, 100 साल तक आने वाली सभी आधुनिक तकनीक इसमें समाहित हो सकेंगी
- कम्प्यूटराइजेशन: पुलिस इन्वेस्टीगेशन से लेकर कोर्ट तक की प्रक्रिया
- ई रिकार्ड्स, जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, चार्जशीट डिजिटल होगी
- 90 दिन में मिलेगी पीड़ित को जानकारी
- फोरेंसिक अनिवार्य: 7 साल या अधिक की सजा वाले मामलों में
- वीडियोग्राफी अनिवार्य: पुलिस सर्च की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी
- ई-बयान: बलात्कार पीड़िता के लिए ई-बयान, ई-पेशी: गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेशी।
- कोर्ट में प्रगति और कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जाएगी।

कई लोग सवाल उठाते हैं कि जब देश में कानून है, तो इन नये कानून की जरूरत क्या है? ऐसे लोगों को जवाब देते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा कि ऐसे लोगों को 'स्वराज' का मतलब ही मालूम नहीं है। 'स्वराज' का मतलब 'स्वशासन' से नहीं होता है। 'स्व' शब्द सिर्फ 'शासन' से जुड़ा हुआ नहीं है। 'स्वराज' मतलब– 'स्वधर्म'

फोरेंसिक को बढ़ावा

जांच में वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर 5 वर्ष में तैयार होगा

फॉरेंसिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जगह-जगह लैब बनाना

नए कानून में 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन अनिवार्य

90 प्रतिशत दोषसिद्धि दर का लक्ष्य तय किया गया है।

न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान

पूरे देश में एक समान न्याय प्रणाली

न्याय में तेजी के साथ-साथ न्याय प्रक्रिया में समन्वय

बहस पूरी होने पर 45 दिन में निर्णय

तृतीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सहायक सत्र न्यायाधीशों के पद को समाप्त करना।

अब 4 प्रकार के न्यायाधीश होंगे। द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल हैं), सत्र न्यायाधीश (इसमें अतिरिक्त मुख्य सत्र न्यायाधीश और कार्यकारी मजिस्ट्रेट) शामिल हैं।

मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाने की सीमा बढ़ाकर अधिकतम 50,000 रुपये कर दिया गया है।

मजिस्ट्रेटों के इन दो वर्गों को सजा के रूप में सामुदायिक सेवा लगाने का भी अधिकार दिया गया है।

आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये बिना भी पुलिस रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है।

मजिस्ट्रेटों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आवश्यकता के बिना अपनी लिखावट, उंगलियों के निशान और आवाज के नमूने देने का निर्देश देने का अधिकार है।

को जो आगे बढ़ाए, वह 'स्वराज' है, 'स्वभाषा' को जो आगे बढ़ाए, वह 'स्वराज' है, 'स्वसंस्कृति' को जो आगे बढ़ाए, वह 'स्वराज' है और 'स्वशासन' को जो प्रस्थापित करे, वह 'स्वराज' है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी थी। गांधी जी ने 'स्वराज' की लड़ाई लड़ी थी। 2014 से श्री नरेन्द्र मोदी ने इस देश की महान आत्मा को, 'स्व' को जागृत करने का काम किया है और वही आज भारत के उत्थान का कारण बना है।

इससे पहले 11 अगस्त,2023 को लोकसभा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किए थे। श्री अमित शाह के अनुसार, कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं, जो भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और तीन वर्षों के अंदर ही न्याय मिल सकेगा। खासतौर से इस कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है, अपराधियों को सजा मिले ये सुनिश्चित किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके, ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं। एक तरफ राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त किया गया है, दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने और मॉब लिंचिग जैसे जघन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान और संगठित अपराधों तथा आतंकवाद पर नकेल कसने का काम भी किया है। श्री अमित शाह ने सदन में आश्वस्त किया कि 1860 से 2023 तक अंग्रेजी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के

मॉब लिंचिंग

- पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया
- नस्ल/जाति/समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि से प्रेरित हत्या/गंभीर चोट मॉब लिंचिंग
- पीड़ित के गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में 7 वर्ष की जेल हो सकती है।
- मौब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास तक की कैद हो सकती है।

आधार पर इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता रहा। अब ये तीन कानून भारतीय आत्मा के साथ स्थापित होंगे जिससे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।

गौर करने की बात है कि इन कानूनों को बनाने के पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। नए कानूनों को बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से अगस्त, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और देश के सभी कानून विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा गया था। वर्ष 2020 में सभी सांसदों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और संघशासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखे गए। इसके बाद व्यापक परामर्श के बाद ये प्रक्रिया कानून बनने जा रही है। इसके लिए 18 राज्यों, 6 संघशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। यह प्रक्रिया सरल नहीं थी, काफी मेहनत की गई बीते 4 सालों में। खूब विचार विमर्श किया गया है। इस संदर्भ में हुई 158 बैठकों में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह उपस्थित रहे हैं।

इन कानूनों में क्या बदलाव हुआ है, इस पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने बताया कि आज तक आतंकवाद से परिचित सभी थे, लेकिन आतंकवाद की परिभाषा, व्याख्या नहीं थी। अब ऐसा नहीं रहेगा। अब अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। अपराध करने वाले अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार भी दिया गया है। जांचकर्ता पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इसका आदेश देगा। नए कानून में सेशंस कोर्ट के जज द्वारा प्रक्रिया के बाद भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उसे सजा भी सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हो। उसे सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना होगा। अभी तक देखा गया है कि देश भर के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में केस

संगठित अपराध

- इंटर-स्टेट गैंग्स और आतंकवादियों के साथ जुड़े इंटर-स्टेट गैंग्स को खत्म करना
- नए कानून में संगठित अपराध से संबंधित एक नई दांडिक धारा जोड़ी गई है। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार संगठित अपराध की व्याख्या की गई है।
- कानून अब सिंडिकेट्स द्वारा संचालित अवैध गतिविधियों को दंडित करता है, जिसमें भूमि पर कब्जा करना, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, ड्रग्स, हथियारों जैसे अपराध शामिल हैं।
- संगठित अपराध के विभिन्न पहलुओं को भी दंडित किया गया है, जैसे - उकसाना, साजिश, प्रयास, सदस्यता, अपराधी को शरण देना या छिपाना और संगठित आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति पर कब्जा करना।
- छोटे संगठित अपराध में किसी गिरोह या समूह द्वारा चोरी, स्नैचिंग, धोखाधड़ी, टिकटों की अनधिकृत बिक्री और सार्वजनिक परीक्षा प्रश्न पत्र, अनधिकृत जुआ और सट्टेबाजी आदि की गतिविधियां शामिल हैं।
  - सीमा पार अपराध
    - बड़े पैमाने पर जनता या बैंकिंग /वित्तीय संस्थान को धोखा देना दंडनीय हैं

    संगठित अपराध से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति पर कब्जा करना एक अपराध है।

विक्टिम-सेंट्रिक

पीड़ित (विक्टिम) को अपनी बात रखने का मौका

सूचना का अधिकार और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार

जीरो एफआईआर दर्ज करने को किया संस्थागत, अब एफआईआर कहीं भी दर्ज कर सकते हैं

पीड़ित को एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। विक्टिम को 90 दिनों के भीतर जांच में प्रगति के बारे में सूचित करना पड़ेगा।

नए कानून में 'पीड़ित' शब्द को परिभाषित करने में आरोपी-केंद्रित दृष्टिकोण को हटा दिया गया है।

पीड़ित पुलिस दस्तावेज प्राप्त करने का हकदार है।

अभियोजन वापसी के चरण में पीड़ित के भागीदारी अधिकार को मान्यता दी गई है।

संपत्तियां पड़ी रहती हैं। अब इस ओर भी तेजी लाई जाएगी। यानी अब इनकी वीडियोग्राफी करके सत्यापित प्रति कोर्ट में जमा करके इनका निपटारा किया जा सकेगा।

इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को समाहित किया गया है। दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है, जिनसे अदालतों में लगने वाले कागजों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। इस कानून को डिजिटलाइज किया गया है, यानी एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अभी सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है, लेकिन अब पूरा ट्रायल, क्रॉस क्वेश्चनिंग (cross questioning) सहित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी।

शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच-पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और उच्च न्यायालय के मुकदमे और पूरी अपीलीय कार्यवाही भी अब डिजिटली संभव होगी। सर्च और जब्ती के समय वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया है, जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा।

आजादी के 75 सालों के बाद भी दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा देने का काम किया है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को अनिवार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।

इसी प्रकार मोबाइल फॉरेंसिक वैन का भी अनुभव किया जा चुका है। दिल्ली में इसका सफल प्रयोग किया गया। इसके तहत 7 वर्ष से अधिक सजा के प्रावधान वाले किसी भी अपराध के स्थल पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम पहुंचती है। इतना भर ही नहीं मोबाइल एफएसएल को भी लॉन्च किया गया। यह संकल्पना पूर्ण रूप से सफल है। यही वजह है कि अब हर जिले में 3 मोबाइल एफएसएल रहेंगी और अपराध स्थल पर जाएंगी। यौन हिंसा के मामले में भी पहले के कानून में फेर-बदल किया गया है। इसके अंतर्गत यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान अनिवार्य कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब अनिवार्य कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस देना अनिवार्य होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस

पुलिस की जवाबदेही

सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है

प्रत्येक पुलिस स्टेशन स्तर पर गिरफ्तार व्यक्तियों का रिकॉर्ड बनाए रखने का प्रावधान शुरू किया गया है।

तीन साल से कम कारावास के लिए, और यदि गिरफ्तार व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक या विकलांग है, तो डिप्टी एसपी रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और जांच में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक धाराएं जोड़ी गई हैं।

प्रारंभिक जांच का प्रावधान पहली बार पेश किया गया है।

गैर-संज्ञेय मामलों में, दैनिक डायरी रिपोर्ट पाक्षिक रूप से मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।

राजद्रोह अब अपराध नहीं

- **गुलामी की निशानी को समाप्त किया, अंग्रेजों का राजद्रोह कानून राज्यों (देश) के लिए नहीं बल्कि शासन के लिए था**
- **लेकिन, देश विरोधी हरकतों के लिए कठोर सजा**
- **भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कार्य पर 7 साल तक या आजीवन कारावास**
- **आईपीसी में 'आशय या प्रयोजन' की बात नहीं थी, लेकिन नए कानून में देशद्रोह के डिफिनेशन में 'आशय' की बात है। जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हेतु सेफगार्ड प्रोवाइड करता है।**
- **केवल सरकार के प्रति अप्रसन्नता या सरकार के प्रति अवमानना/घृणा दिखाना अब नए कानून के तहत कोई आपराधिक कृत्य नहीं है।**

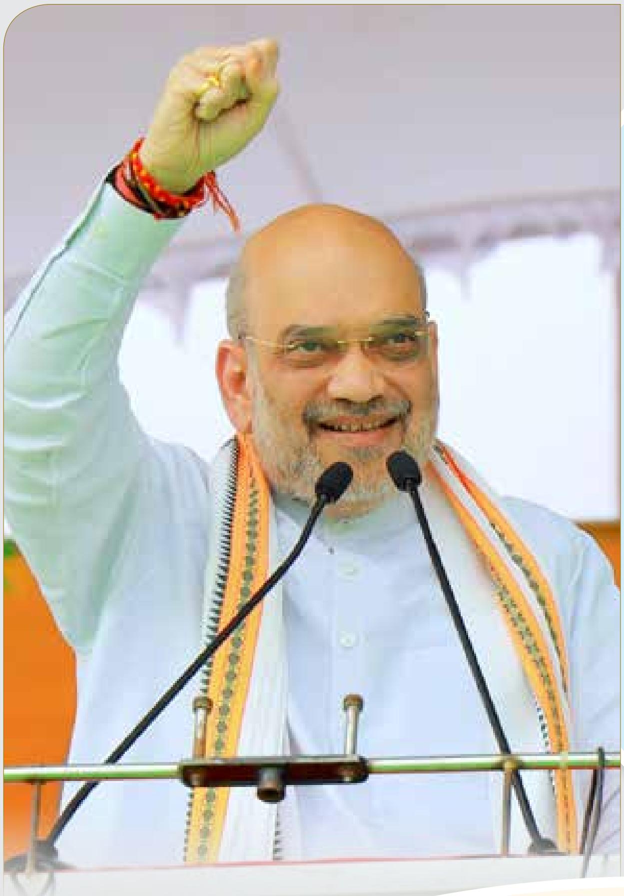

आतंकवाद

भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करके इसे दंडनीय अपराध बना दिया गया है।

आतंकी कृत्य मृत्युदंड या आजीवन कारावास के साथ दंडनीय है

संपत्ति की क्षति या विनाश, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में व्यवधान, भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान, और भारत की रक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली भारत या विदेश में किसी भी संपत्ति को नष्ट करने जैसी गतिविधियां आतंकवादी अधिनियम में शामिल हैं।

आतंकवादी कृत्यों में प्रशिक्षण देने के लिए, किसी व्यक्ति को भर्ती करने के लिए और आतंकवादी संगठनों के सदस्यों को ऐसे कृत्यों के लिए दंडनीय बनाया गया है।

आतंकवादी कृत्य से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति पर कब्जा करना दंडनीय बनाया गया है।

साक्ष्यों के संबंध में तकनीक को बढ़ावा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें इलेक्ट्रानिक या डिजिटल रिकार्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर पर उपलब्ध दस्तावेज, स्मार्टफोन या लैपटॉप के मैसेजेज, वेबसाइट, लोकेशनल को साक्ष्य माना गया है।

इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानने के लिए और अधिक मानक जोड़े गए, जिसमें इसकी उचित कस्टडी-स्टोरेज-ट्रांसमिशन-ब्रॉडकास्ट पर जोर दिया गया।

दस्तावेजों की जांच करने के लिए मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति और एक कुशल व्यक्ति के साक्ष्य को शामिल करने के लिए और अधिक प्रकार के माध्यमिक साक्ष्य जोड़े गए, जिनकी जांच अदालत द्वारा आसानी से नहीं की जा सकती है।

साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता, वैधता और प्रवर्तनीयता स्थापित की गई।

द्वितीयक साक्ष्य के रूप में अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सत्यता स्थापित करने के लिए अब किसी विशेषज्ञ के अतिरिक्त प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।

संग्रहीत, प्रेषित, स्थानांतरित या प्रसारित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के विभिन्न रूपों को शामिल करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य के दायरे को काफी विस्तारित किया गया है।

न्याय प्रक्रिया में तेजी

- अब छोटे-मोटे व कम गंभीर वाले मामलों में समरी ट्रायल अनिवार्य
- 3 वर्ष तक की सजा में मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है
- सिविल सर्वेन्ट्स के खिलाफ मुकदमा के संबंध में फैसला 120 दिन में लेना होगा
- आपराधिक कार्यवाही शुरू करने, गिरफ्तारी, जांच, आरोप पत्र, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही, कोग्निजंस, चार्जेज, प्ली बारगेनिंग, सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति, ट्रायल, जमानत, जजमेंट और सजा, दया याचिका आदि के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- 45 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है, जिससे स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस संभव होगी।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से शिकायत देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर एफआईआर को रिकॉर्ड पर लिया जाना होगा।
- किसी भी आपराधिक न्यायालय में मुकदमे की समाप्ति के बाद निर्णय की घोषणा 45 दिनों से अधिक नहीं होगी।
- समन मामलों में डिस्चार्ज प्रावधान शुरू किया गया है।
- डिस्चार्ज आवेदन, चार्ज निर्धारण आदि के लिए समयसीमा निर्धारित की गयी है।

वापस नहीं ले सकेगी, इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि कम्युनिटी सर्विस को सजा के रूप में इस कानून के तहत लाया जा रहा है। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। इस अकेले प्रावधान से ही सेशन कोर्ट्स में 40 प्रतिशत से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 45 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा, इससे सालों तक निर्णय लंबित नहीं रहेगा और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।

सरकारी सेवा में काम करने वाले या पुलिस अधिकारी के विरूद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर फैसला करना होगा वरना इसे डीम्ड परमीशन माना जाएगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। इसमें एक और बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया गया है, जो पुलिस अधीक्षक अभी नौकरी कर रहा है वो ही फाइल देखकर गवाही देगा, जो पहले था उसे आने की जरूरत नहीं होगी, जिससे गवाही जल्द होगी और न्याय भी जल्द हो सकेगा। इसके अलावा, घोषित आरोपी की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान लेकर आए हैं। अंतरराज्यीय गिरोह और संगठित अपराधों के विरूद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा गया है। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटारे के लिए भी कई प्रावधान किए हैं। पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया कि शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाया गया है।

गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज अमल में नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान रखा गया है। मॉब लिंचिग के लिए 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के तीनों प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल फोन या स्नेचिंग के लिए पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के मुताबिक गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति और मामूली चोट लगने के मामले, दोनों में 7 साल की सजा का प्रावधान था। अब इन दोनों को अलग कर दिया है। हमेशा के लिए अपंगता या ब्रेन

अंडरट्रायल कैदी

- पहली बार अपराधी के लिए हिरासत की अधिकतम अवधि में कमी लाई गई है।
- कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी है, और 'एक तिहाई अधिकतम कारावास' काट चुका है, तो उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
- ऐसे मामलों में जेल अधीक्षक बेल के लिए अविलंब कोर्ट को लिखित में आवेदन कर सकता है।
- विचाराधीन कैदी को आजीवन कारावास या मौत की सजा में रिहाई उपलब्ध नहीं होगी।

गवाहों की सुरक्षा

- राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह संरक्षण योजना/ डब्ल्यूपीएस तैयार और अधिसूचित करना होगा
- गवाहों की सुरक्षा को भी नए कानून में शामिल किया गया है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में सबूत इकट्ठा करने और बयान रिकॉर्ड करने की अनुमति है।
- नए कानूनों के केन्द्र में हमारे देश के नागरिकों के संविधान-प्रदत्त अधिकार, उनके मानवाधिकार और उनकी स्वयं की रक्षा है।
- प्रत्येक राज्य गवाह सुरक्षा योजना की तैयारी और अधिसूचना को अधिदेशित करता है।
- गवाह सुरक्षा योजना एक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती है, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती है जहां गवाह डर या दबाव के बिना कानूनी प्रक्रिया में योगदान कर सकते हैं।
- महेंद्र चावला बनाम भारत संघ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिवत अनुमोदित गवाह संरक्षण योजना 2018 राज्यों के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है।

छोटे-मोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा

- भारतीय न्याय दर्शन के अनुरूप छोटे अपराधों में सामुदायिक सजा
- 6 अपराधों में कम्युनिटी सर्विसेज को समाहित किया गया
- 5000 रुपए से कम मूल्य की चोरी पर कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान

घोषित अपराधियों पर कार्रवाई

10 वर्ष अथवा अधिक की सजा अथवा आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड की सजा वाले मामलों में दोषी को घोषित अपराधी (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) घोषित किया जा सकता है।

नए कानून में घोषित अपराधियों के मामलों में, भारत से बाहर की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान किया गया है।

घोषित अपराधियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है।

डेड होने की स्थिति में 10 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। अनेक अपराधों में जुमार्न की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। हिरासत में से भाग जाने वाले अपराधियों के लिए भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे जाते थे, अब मृत्यु दंड को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल तक की सजा में ही बदला जा सकेगा और किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 15 अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे जैसे विकासशील देश में एक स्वस्थ समाज के लिए और आत्मविश्वास से भरे समाज के लिए एक भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था की आवश्यकता है। हर समाज में न्याय व्यवस्था और विभिन्न प्रक्रियाएं व परंपराएं समय अवधि की जरूरतों के अनुसार विकसित हो रही हैं। जब न्याय मिलता दिखाई देता है, तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देशवासियों का भरोसा मजबूत होता है और जब न्याय मिलता है, तो आम आदमी का भरोसा बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि न्याय देने में देरी सबसे बड़ी चुनौती है और न्यायपालिका इस दिशा में पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। वैकल्पिक विवाद समाधान के तंत्र पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि यह लंबे समय से भारत के गांवों में बेहतर रूप में उपयोग में लाया गया है और अब इसे राज्य स्तर पर प्रचारित किया जा सकता है। ■

Photo: HM Office

खत्म होगा गुलामी का नामोनिशान

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने संसद में कानून को पेश करते हुए कहा कि खत्म होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। उनका उद्देश्य दंड देने का था, न की न्याय देने का। तीन नए कानून की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना, इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन तीन कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। पुराने कानूनों में गुलामी की बदबू आती थी। ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे। कारण इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था और हमने सिर्फ इन्हें अपनाया था।

इन कानूनों में पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाई द क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव, लंदन गैजेट, ज्यूरी और बैरिस्टर, लाहौर गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है। इन कानूनों में हर मैजेस्टी और बाइ द प्रिवी काउंसिल के रेफेरेंस दिए गए हैं, कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेट इन द लंदन गैजेट के आधार पर इन कानूनों को बनाया गया है, पजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड और हर मैजेस्टी डॉमिनियन्स का भी जिक्र इन कानूनों में कई स्थानों पर है।

अच्छी बात यह है कि गुलामी की निशानियों को पूरी तरह मिटा दिया गया है। इतना ही नहीं, इन कानूनों को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास किया गया है। कारण हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्याय के लिए बहुत समय लगता है, न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इस कारण लोगों का विश्वास उठ गया है और वो अदालत में जाने से डरते हैं।

नए आपराधिक कानूनों में तकनीक का इस्तेमाल

- नए कानून में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया है और ई-एफआईआर पर जोर दिया गया है।
- पुलिस अधिकारी को 90 दिनों में डिजिटल माध्यमों से पीड़ित को जानकारी देनी होगी।
- फोरेंसिक को बढ़ावा देते हुए अपराध स्थलों का दौरा और सात साल या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में वीडियोग्राफी साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- पुलिस द्वारा सर्च करने की पूरी प्रक्रिया अथवा किसी संपत्ति का अधिग्रहण करने में इलेक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से वीडियोग्राफी होना अनिवार्य है।
- बलात्कार पीड़िता का बयान ऑडियो/वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज (रिकॉर्ड) किया जा सकता है।
- सभी तलाशी और जब्ती प्रक्रियाओं की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग।
- आरोपी, पीड़ित और गवाहों द्वारा साक्ष्य जमा करने के लिए ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड का उपयोग।
- सम्मन और दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

सर्च और जब्ती

पुलिस द्वारा सर्च और जब्ती की कार्यवाही करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। पुलिस द्वारा सर्च करने की पूरी प्रक्रिया अथवा किसी साक्ष्य का अधिग्रहण करने में इलेक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से वीडियोग्राफी की जाएगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकार्डिंग बिना किसी विलंब के संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।

संपत्तियों का निपटान

देश के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में केस संपत्तियां पड़ी रहती हैं। जांच के दौरान, अदालत या मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्ति का विवरण तैयार करने और फोटोग्राफ/वीडियोग्राफी के बाद ऐसी संपत्तियों के त्वरित निपटान का प्रावधान किया गया है। फोटो या वीडियोग्राफी किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। फोटो खींचने/वीडियोग्राफी करने के 30 दिनों के भीतर, संपत्ति के निपटान, डिस्ट्रक्शन, जब्ती या वितरण का आदेश दिया जाएगा।

कम समय में पुस्तकों के प्रकाशन पर श्री अमित शाह ने दी बधाई

तीन नए कानून की जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचे इसके लिए प्रकाशन समूहों ने भी सक्रियता दिखाई और कम समय में पुस्तकों का प्रकाशन कर दिया। जब ये पुस्तकें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह को भेंट की गई तब उन्होंने प्रकाशन संस्थानों की तारीफ की। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर श्री शाह ने लिखा कि इन पुस्तकों में तीनों कानूनों में किए गए बदलावों को संक्षिप्त और सरल तरीके से स्पष्ट किया गया है। किताबें आसानी से समझने के लिए केस लॉ टिप्पणियां भी देती हैं। किताबें निष्पक्ष और त्वरित न्याय वितरण प्रणाली के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती हैं। इन तीन कानून पुस्तकों में विभिन्न प्रावधानों को आसानी से समझने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल तुलनात्मक संदर्भ शामिल हैं और नए कानूनों में लाए गए परिवर्तनों पर भी प्रकाश डाला गया है। दरअसल, नए कानून बनने के बाद लोगों को यह दुविधा थी कि इसे समझने में काफी समय लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है। नए कानून को सरल और सहज भाषा के साथ तैयार किया गया है ताकि इसे समझने में किसी को दिक्कत न हो। प्रकाशकों ने पुस्तक में सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है।

नए कानून की विशेष बातें

- भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी की जगह लेगा, में पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 358 धाराएं होंगी, 175 धाराओं में बदलाव किया गया है,10 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 19 धाराओं को निरस्त किया गया है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी की जगह लेगा, में अब 531 धाराएं रहेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है , 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 15 धाराओं को निरस्त किया गया है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो एविडेंस एक्ट की जगह लेगा, में पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी, 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई धारा जोड़ी गई है और 11 धाराएं निरस्त की गई हैं।
- प्राथमिक जांच रिपोर्ट से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से न्याय मिलने तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है।
- 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की उपस्थिति को अनिवार्य किया जा रहा है, इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
- यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान अनिवार्य कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब जरूरी कर दी गई है।
- पुलिस को 90 दिनों में जांच का स्टेटस पीड़ित को देना अनिवार्य होगा।
- पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी, इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी।
- छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है, अब 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे, इस अकेले प्रावधान से ही सेशन्स कोर्ट्स में 40 प्रतिशत से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे।
- 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान रखा गया है, मॉब लिंचिग के लिए आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान रखा गया है।

विश्व का सबसे आधुनिक बनेगा हमारा
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम

सरकार ने यह कानून बनाने से पहले ही देश के 99.93 प्रतिशत, यानी, 16,733 पुलिस स्टेशनों को ऑनलाइन जोड़ने और इन्हें एक ही सॉफ्टवेयर से चलाने का काम पूरा कर चुकी है। देश की 22 हजार अदालतें ई-कोर्ट बन चुकी हैं, ई-प्रिजन के माध्यम से देश के 2 करोड़ कैदियों का डेटा, ई-प्रॉसीक्यूशन के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक अभियोजन का डेटा और ई-फॉरेंसिक के माध्यम से 17 लाख फॉरेंसिक डिटेल्स का डेटा भी ऑनलाइन कर दिया गया है।

ब्यूरो

संसद द्वारा तीनों विधेयकों के पारित होने के अगले दिन ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में साइबर ऑपरेशन और सुरक्षा केंद्र में इन कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की संसद ने देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में परिवर्तन लाने वाले तीन युगांतरकारी विधेयकों को कानून में बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की स्पिरिट से पूरे देश का जस्टिस सिस्टम चले, हमारा कानून अत्याधुनिक तकनीक को स्वीकारने के लिए अपने आप को तैयार करे, इसके लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाए, कनेक्टिविटी से लेकर हार्डवेयर तक की सारी

सुविधाओं के साथ पूरे देश की अनुसूचित भाषाएं बातचीत कर पाएं और एकदूसरे के साथ अपने को जोड़ सकें। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन से डीजीपी कार्यालय, कोर्ट, जेल, एफएसएल, प्रॉसीक्यूटर का कार्यालय और सचिवालय एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, इस प्रकार की कम्प्लीट लीकप्रूफ न्यायिक व्यवस्था बनाने का मूल इन कानूनों में रखा गया है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों पर पूरी तरह अमल के बाद पूरे देश में किसी भी आपराधिक मामले का निपटारा 3 सालों से अधिक समय नहीं लेगा।

श्री शाह ने कहा कि इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ काफी परामर्श किया गया और फिर इन्हें गृह मंत्रालय की समिति के पास भेजा गया। इसके बाद सुझाए गए सभी संशोधनों पर विचार कर एक कम्प्लीट कानून बनाकर संसद में पेश किया।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय विचारों से चलाने के प्रति कटिबद्ध है। भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 19वीं सदी से सीधा 21वीं सदी में छलांग लगाने के लिए भी तैयार है। श्री शाह ने कहा कि इन कानूनों पर अमल के बाद हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विश्व का सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगा। श्री अमित शाह ने कहा कि दिसंबर, 2024 तक सभी केन्द्रशासित प्रदेशों में इन तीनों कानूनों पर अमल के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, मानव संसाधन की ट्रेनिंग और कोर्ट के पूर्ण कम्प्यूटराइजेशन का काम हो जायेगा। उन्होंने कहा कि सीसीटीएनएस और आईसीजेएस के माध्यम से मोदी सरकार ये काम पहले ही शुरू कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों पर पूरी तरह से अमल के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध के उन्मूलन के लिए डायरेक्टर ऑफ प्रॉसीक्यूशन के गठन, फॉरेंसिक को स्थायित्व देने और आईसीजेएस और सीसीटीएनएस में लूपहोल्स खत्म करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनेगा और 31 जनवरी, 2024 से पहले सभी केन्द्रशासित प्रदेशों में बैठक कर 22 दिसंबर, 2024 से पहले सभी केन्द्रशासित प्रदेशों को इन कानूनों पर अमल के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ये कानून बनाने से पहले ही देश के 99.93 प्रतिशत, यानी, 16,733 पुलिस स्टेशनों को ऑनलाइन जोड़ने और इन्हें एक ही सॉफ्टवेयर से चलाने का काम पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि देश की 22 हजार अदालतें ई-कोर्ट बन चुकी हैं, ई-प्रिजन के माध्यम से देश के 2 करोड़ कैदियों का डेटा,ई-प्रॉसीक्यूशन के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक अभियोजन का डेटा और ई-फॉरेंसिक के माध्यम से 17 लाख फॉरेंसिक डिटेल्स का डेटा भी ऑनलाइन कर दिया गया है। श्री शाह ने कहा कि इसके साथ ही 90 लाख से अधिक फिंगरप्रिंट डेटा, इंटीग्रेटेड मॉनीटरिंग ऑफ टेररिज्म (iMOT), निदान के माध्यम से अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर का डेटा, नेशनल डेटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर्स का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके साथ ही क्राइम मल्टीऐजेंसी सेंटर को इसके साथ जोड़ने के साथ ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और प्रिजनर का बायोमैट्रिक डेटा भी तैयार कर लिया गया है।

अब इसके बाद इन सबके बीच संवाद की भाषा तय करना, संवाद करने वाला सॉफ्टवेयर लाना और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग करते हुए इसका एनालिसिस कर देश में आतंकवाद और क्राइम पर नकेल कसने का काम करना है।■

दिसम्बर, 2024 तक सभी केन्द्रशासित प्रदेशों में इन तीनों कानूनों पर अमल के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, मानव संसाधन की ट्रेनिंग और कोर्ट के पूर्ण कम्प्यूटराइजेशन का काम हो जायेगा।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय विचारों से चलाने के प्रति कटिबद्ध है। भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 19वीं सदी से सीधा 21वीं सदी में छलांग लगाने के लिए भी तैयार है। श्री शाह ने कहा कि इन कानूनों पर अमल के बाद हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विश्व का सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगा।

उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023

मेक इन इंडिया' की तर्ज पर 'वेड इन इंडिया' अभियान शुरू करें

ब्यूरो

8 दिसंबर, 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित 'उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023' का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का विषय 'शांति से समृद्धि' है। प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और ग्राउंड ब्रेकिंग वॉल का अनावरण किया। 'सशक्त उत्तराखंड' पुस्तक और 'ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज' को लॉन्च किया। दो दिन के शिखर सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य इस पहाड़ी राज्य को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के तौर पर पेश करना था।

उत्तराखंड के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, जहां दिव्यता और विकास एक साथ महसूस होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, मेरा एक संकल्प है, आने वाले कुछ समय में इस देश में दो करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड से दो करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के काम में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने में आप सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। देश के लिए, यहां की कंपनियों के

लिए, भारत निवेशकों के लिए मैं यह समझता हूं कि अभूतपूर्व समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित स्थानों तक सीमित पहुंच प्रदान करने वाली पिछली नीतियों की आलोचना करते हुए, प्रधानमंत्री ने उन्हें देश के पहले गांव के रूप में विकसित करने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार के प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के बारे में चर्चा की, जहां उन गांवों और क्षेत्रों पर जोर दिया जा रहा है जो विकास मानकों में पीछे हैं। श्री मोदी ने उत्तराखंड की अप्रयुक्त क्षमता पर प्रकाश डाला और निवेशकों से इसका अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के कामकाज की प्रशंसा करते हुए उत्तराखंड के विकास की बात बताई। साथ ही उन्होंने अब उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने का भी मंत्र दिया है। यद्यपि राज्य में धार्मिक आध्यात्मिक व प्राकृतिक स्थलों में लोग विवाह समारोह आयोजित करने में रुचि ले रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री की सलाह से इन प्रयासों को न केवल गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय आर्थिकी भी संवरेगी।

प्रधानमंत्री ने ग्रामीण इलाकों से चारधाम तक जाने के काम का जिक्र करते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली-देहरादून के बीच की दूरी ढाई घंटे की रह जायेगी। देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार से हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। प्रदेश में हेली-टैक्सी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। ये सभी कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक, भंडारण, पर्यटन और आतिथ्य के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। अपने संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय भारत, उसकी कंपनियों और उसके निवेशकों के लिए एक अभूतपूर्व समय है। उन्होंने कहा, 'अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।' उन्होंने इसका श्रेय स्थिर सरकार, सहयोगपूर्ण नीतिगत प्रणाली, सुधार और परिवर्तन की मानसिकता व विकास में विश्वास के संयोजन को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह भारत का समय है।' उन्होंने निवेशकों से उत्तराखंड का साथ देने और इसकी विकास यात्रा में भाग लेने की अपील की।

बीते 10 वर्षों में एक आकांक्षी भारत का निर्माण हुआ है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी थी, जो अभाव में थी, वंचित थी, वो असुविधाओं से जुड़ी थी, अब वो उन सारी मुसीबतों से निकलकर के सुविधाओं के साथ जुड़ रही है, नए अवसरों से जुड़ रही है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से पांच साल में साढ़े तेरह करोड़ से ज्यादा लोग, गरीबी से बाहर आए हैं। इन करोड़ों लोगों ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

विकसित देशों को 2050 से पहले अपने कार्बन उत्सर्जन को खत्म करना होगा

ब्यूरो

वैश्विक जलवायु ढांचे पर सीओपी 28 यूएई नेताओं की घोषणा जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले लगातार और गंभीर झटकों का सामना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को लचीला बनाने की जरूरतों को स्वीकार करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात सहित 13 देशों द्वारा समर्थित रूपरेखा ऐसे झटकों से निपटने के उपायों के रूप में जलवायु-लचीले ऋण प्रावधानों, जलवायु के लिए ऋण स्वैप पर विचार और स्थिरता से ब्रांडों के व्यापक उपयोग की सिफारिश करती है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) अभी युवावस्था तक नहीं पहुंचा था; क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न बाजार और गैर-बाजार-आधारित तंत्रों पर अभी भी बातचीत चल रही थी। भारत में, जलवायु परिवर्तन पर अधिक चर्चा नहीं थी और कुछ नागरिक समाज संगठनों के स्थान पर मुख्य रूप से परामर्श फर्मों का कब्जा था। इसको लेकर बीते दशक में सोच बदली।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 'ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस' पर सीओपी-28 प्रेसीडेंसी सत्र में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को अधिक सुलभ, उपलब्ध और किफायती बनाने पर केंद्रित था। आज, हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत, इंडोनेशिया, अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको सहित भौगोलिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय जलवायु फाउंडेशन स्थापित हैं, जो जलवायु चर्चा में बड़े पैमाने पर योगदान दे रहे हैं। सीओपी 28 में ग्लोबल साउथ के नागरिक समाज संगठनों की बड़े पैमाने पर भागीदारी ने अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु केंद्रित नागरिक समाजों की क्षमता के निर्माण में क्षेत्रीय जलवायु फाउंडेशनों के योगदान का समर्थन किया। विश्व स्तर पर, जलवायु परिवर्तन वित्त और वैश्विक व्यापार सहित जलवायु विज्ञान से परे मुद्दों पर सहयोग के लिए केंद्रीय बन गया है।

अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने सीओपी-28 में जलवायु वित्त से संबंधित मुद्दों पर सक्रियता से विचार-विमर्श करने का आह्वान किया। उन्होंने जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य में प्रगति हरित जलवायु निधि एवं अनुकूलन निधि की पुन:पूर्ति, जलवायु कार्रवाई के लिए एमडीबी द्वारा किफायती वित्त उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही कहा कि विकसित देशों को 2050 से पहले अपने कार्बन उत्सर्जन को खत्म करना होगा।

दुबई में सीओपी-28 (30 नवंबर से 12 दिसंबर, 2023) के दौरान जलवायु परिवर्तन वार्ता का महत्व स्पष्ट था, जो एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम था जिसमें 140 देशों के राष्ट्राध्यक्षों, वरिष्ठ सरकारी नेताओं और 80,000 से अधिक प्रतिभागियों और 5,000 से अधिक मीडिया ने भाग लिया था। सत्र के दौरान, वैश्विक नेताओं ने नए वैश्विक जलवायु वित्त प्रारूप पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा को अपनाया। घोषणा में अन्य बातों के अलावा, प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करना, महत्वाकांक्षी परिणाम प्राप्त करना और जलवायु कार्रवाई के लिए रियायती वित्त स्रोतों को व्यापक बनाना शामिल है। इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को व्यक्त करते हुए विकासशील देशों को उनकी जलवायु महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने और उनके एनडीसी को लागू करने हेतु कार्यान्वयन के साधन, विशेष रूप से जलवायु वित्त उपलब्ध कराने की तात्कालिकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने हानि और क्षति कोष के संचालन और सीओपी-28 में संयुक्त अरब अमीरात जलवायु निवेश कोष की स्थापना का स्वागत किया। सीओपी 28 के दौरान, वित्त, ऊर्जा, जीवन और आजीविका और हरित जलवायु कोष जैसे क्षेत्रों में कुल लगभग 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया गया है।

ग्रीन क्रेडिट पहल को जलवायु परिवर्तन की चुनौती के लिए एक प्रभावी प्रतिक्रिया के रूप में, पृथ्वी के हित से जुड़े स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तंत्र के रूप में तैयार किया गया है। यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों का जीर्णोद्धार करने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बंजर/ खराब भूमि और नदी जलग्रहण क्षेत्रों पर वृक्षारोपण के लिए ग्रीन क्रेडिट जारी करने की कल्पना करता है।

कार्यक्रम के दौरान एक वेब प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया, जो पर्यावरण-अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों और सबसे अच्छे तौर तरीकों के संग्रह के रूप में काम करेगा (https://ggci-world.in/) इस वैश्विक पहल का उद्देश्य ग्रीन क्रेडिट जैसे कार्यक्रमों/तंत्रों के माध्यम से पर्यावरण के लिहाज से सकारात्मक कार्यों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में ज्ञान, अनुभवों और सर्वोत्तम तौर तरीकों के आदान-प्रदान के माध्यम से वैश्विक सहभागिता, सहयोग और साझेदारी को सुविधाजनक बनाना है।

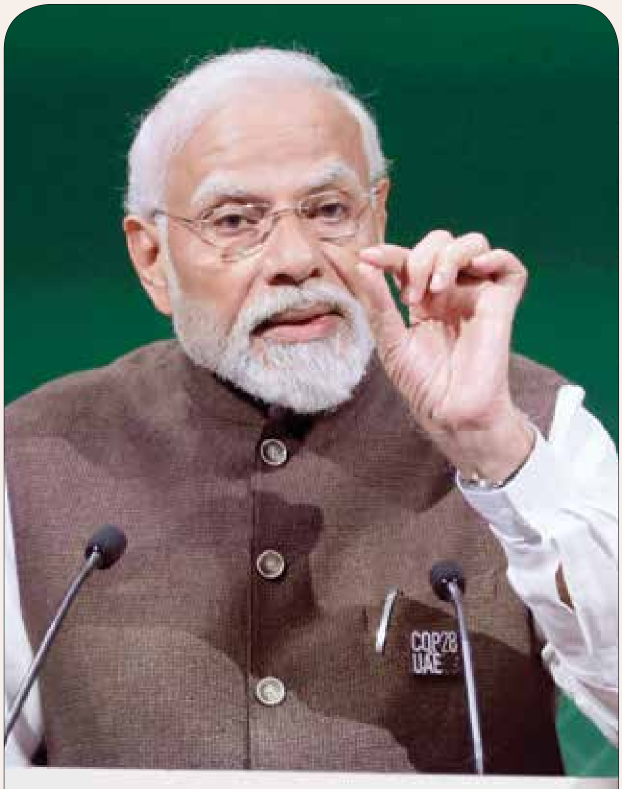

हमें संकल्प लेना होगा कि हर देश अपने लिए जो क्लाइमेट टार्गेट्स तय कर रहा है, जो कमिटमेंट कर रहा है, वो पूरा करके ही दिखाएगा। हमें संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

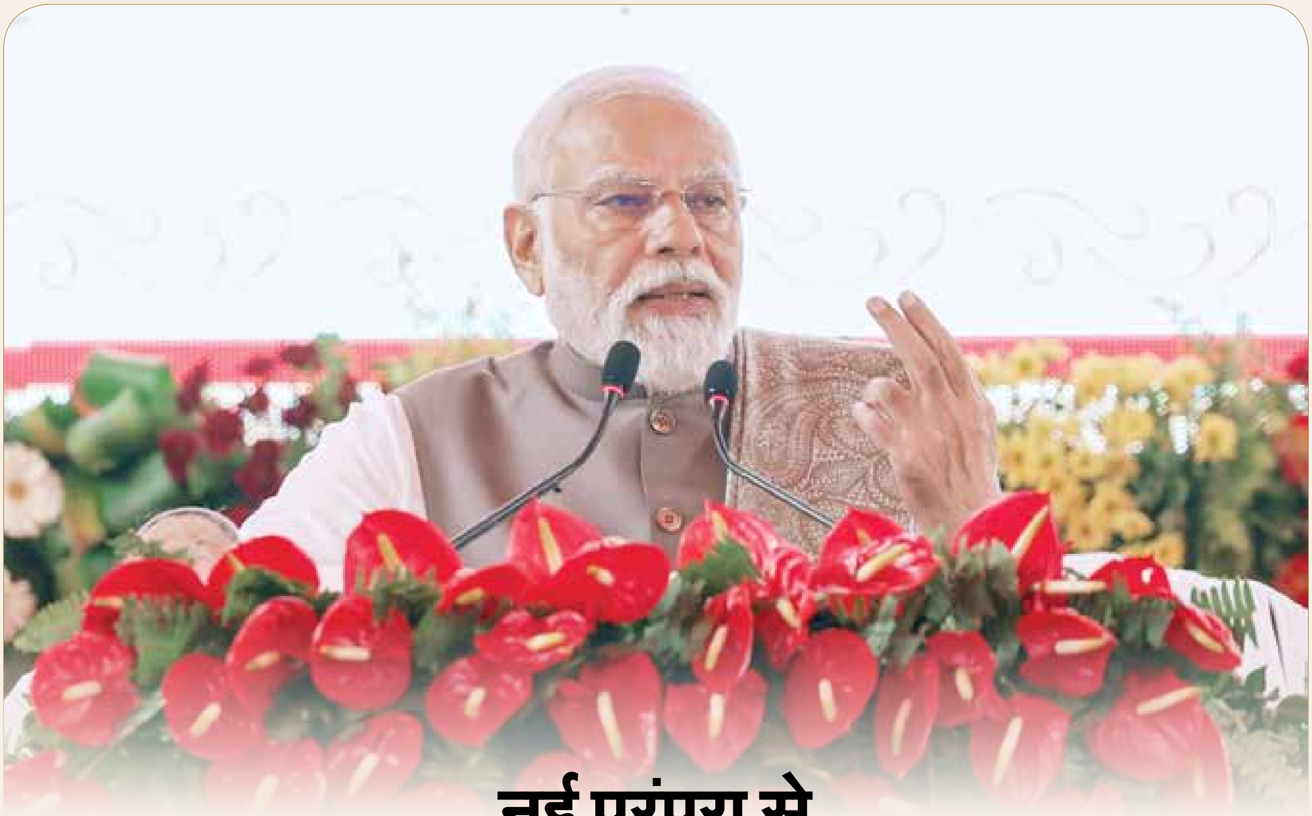

नई परंपरा से 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मिली शक्ति

ब्यूरो

उत्तरवाहिनी गंगा के पावन तट पर आयोजित काशी तमिल संगमम 2.0 ने अपने उत्कर्ष को दर्शाया। देश की दो पुरातन संस्कृतियों के कई रंग नमो घाट पर गंगा की कल-कल करती धारा के साथ पूरी दुनिया को नया संदेश देने में सफल रहीं। विकास केवल आधारभूत संरचनाओं के विकास से नहीं होता है, बल्कि उसकी संस्कृतियों में निहित होती है। अपने भाषणों में वसुधैव कुटुम्बकम की बात करने वाले प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी विकसित एवं समृद्ध भारत की परिकल्पना को लोगों के सामने रख रहे हैं। गंगा किनारे एक पखवाड़े तक हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम, संवाद और दर्जनों दुकानों के माध्यम से साझी विरासत देखी और समझी जा सकती थी।

बीते साल एक महीना तक वाराणसी ने अतुलनीय मेजबानी की थी। इस साल 17 दिसंबर, 2023 को प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी में नमो घाट आए और काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन किया। उसके बाद से लोग गंगा में आस्था की डुबकी के साथ ही नमो घाट पर ज्ञान का आचमन करने से स्वयं को रोक नहीं पा रहे हैं। हर दिन अदभुत और दिव्य काशी तमिलों सहित सभी को नया ज्ञान दे रही है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी-वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया और तिरुक्कुरल, मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य के बहु भाषा और ब्रेल अनुवाद को जारी किया। सुब्रमण्यम भारती का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी-तमिल संगमम का भाव पूरे देश और विश्व में प्रसारित हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगमम 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को आगे बढ़ाता है। देश के सभी राजभवनों में अन्य राज्य दिवस मनाने की नई परंपरा से 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को और शक्ति मिली है। प्रधानमंत्री, श्री मोदी ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की इसी भावना को दशार्ते हुए आदिनम संतों की

काशी तमिल संगमम 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को आगे बढ़ाता है। काशी तेलुगु संगमम और सौराष्ट्र काशी संगमम के आयोजन के पीछे भी यही भावना थी। देश के सभी राजभवनों में अन्य राज्य दिवस मनाने की नई परंपरा से 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को और शक्ति मिली है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

देख-रेख में नई संसद में पवित्र सेंगोल की स्थापना के कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना का यह प्रवाह आज हमारे राष्ट्र की आत्मा को प्रभावित कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि भारत की विविधता को आध्यात्मिक चेतना में पिरोया गया है, जैसा कि महान पांडियन राजा पराक्रम पांडियन ने कहा था कि भारत का हर जल गंगाजल है और देश का हर भौगोलिक स्थल काशी है। उत्तर भारत में आस्था के केंद्रों पर लगातार विदेशी शक्तियों द्वारा हमले के समय का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने तेनकाशी और शिवकाशी मंदिरों के निर्माण के साथ काशी की विरासत को संजोए रखने के राजा पराक्रम पांडियन के प्रयासों की चर्चा की। श्री मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तित्वों के भारत की विविधता के प्रति आकर्षण का भी उल्लेख किया।

इसका उद्देश्य तमिलनाडु व काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करना रहा। तमिलनाडु के शास्त्रीय व लोक कलाकारों, साहित्यकारों, उद्यमियों, किसानों, धर्मगुरुओं आदि के छोटे जत्थों में यहां आते हैं। जितने भी मेहमान आ रहे हैं, हर कोई आदिदेव महादेव की इस नगरी के सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक सौहार्द्र को देखा और समझा। सभी ने तमिलनाडु की संस्कृति, समाज और शिव के प्रति अनुराग का गुणगान किया। तमिल समाज के अंदर भगवान शिव और काशी के प्रति जो आस्था है, वह अलौकिक है। काशी तो आध्यात्मिक नगरी है। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी में तमिलों के साथ हजारों वर्ष पुराने संबंध की विवेचना हुई। तमाम विद्वानों ने अपने वक्तव्य में देशभक्ति, सामाजिक चेतना, आध्यात्मिक संदेश दिया।

बहरहाल, विभिन्न भाषाओं, सांस्कृतिक परंपराओं और भौगोलिक परिदृश्यों का घर भारत हमेशा सर्वोत्कृष्ट विभिन्न रूपकों के एकरूपता वाले समाज के रूप में जाना जाता है। यह साझा विरासत के लिए जाना जाता है, और सतत भारतीय समाज की विशेषताओं को व्यापार, यात्रा और विज्ञान में विकास के माध्यम से सतत स्थापित करता रहा है। काशी में यह प्रक्रिया युगों से आगे बढ़ रही है। ऐसा ही पहलू यह भी है कि काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराना संबंध है, जिसे काशी-तमिल संगमम में आकर बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने खादी को पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाया

ब्यूरो

खादी का विचार बहुआयामी और बहुद्देश्यीय है। खादी माटी कला महोत्सव एक बहुआयामी विचार है जिसे प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने आगे बढ़ाया है। खादी के विचार को सबसे पहले महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के साथ जोड़कर सबके सामने रखा और इसके माध्यम से बापू ने गरीबी में जीते हुए सभी लोगों को खादी के माध्यम से रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। इसके साथ ही गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की मांग को कम कर स्वदेशी और स्वराज की भावना जागृत कर उसे गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने खादी के विचार को ना सिर्फ पुनर्जीवित किया है, बल्कि इसे आगे बढ़ाकर और आम लोगों के बीच पहुंचाकर खादी को लोकप्रिय बनाने का काम किया है।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के नारे में स्वदेशी और रोजगार को जोड़ने का काम किया है। 2 दिसंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में माटी कला महोत्सव को संबोधित किया। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता के कारण ही खादी का जर्जर हो चुका आंदोलन आज नए आयामों को छू रहा है। भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकॉनमी बना है। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का आर्थिक विकास तो हो ही रहा है, इसके साथ ही अर्थतंत्र को सर्वसमावेशक बनाने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई कदम उठाए हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि खादी के टर्नओवर को 3 गुना करने का अर्थ है लाखों-करोड़ों लोगों को रोजगार देना और जब करोड़ों लोग आत्मनिर्भर बनते हैं तब बढ़ने वाला जीडीपी का आंकड़ा मानवीय हो जाता है। इससे करोड़ों लोगों के जीवन में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सुख भी आता है। उन्होंने कहा कि आज इस खादी माटी कला महोत्सव में 300 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स, 40 एग्रो-बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टूल किट, 40 बहनों को अगरबत्ती बनाने की मशीनें, 20 प्लम्बिंग किट और 200 से अधिक पारंपरिक चरखे दिए गए हैं। इस अवसर पर पीएमईजीपी के तहत गुजरात सहित पूरे भारत में 5000 लाभार्थियों को लगभग 200 करोड़ के मार्जिन मनी का ऑनलाइन पेमेंट भी हुआ है जिससे उन्हें ₹600 करोड़ का लोन मिल सकेगा। खादी ग्रामोद्योग ने विगत 9 सालों में बहुत प्रगति की है। प्रधानमंत्री, श्री मोदी ने खादी को प्राथमिकता दी और उसका परिणाम है कि 2022-23 में खादी का कुल कारोबार ₹1,35,000 करोड़ को पार कर गया है। इस ₹135000 करोड़ के टर्नओवर में कम से कम 1 लाख लोगों का योगदान है। आज लाखों लोगों ने अपनी आजीविका ₹135000 करोड़ के टर्नओवर के माध्यम से प्राप्त की है और सम्मान के साथ जी रहे हैं।

> **हर परिवार साल में कम से कम ₹5000 की खादी या खादी ग्रामोद्योग के उत्पाद खरीद कर इसे बढ़ावा दें। अगर देश का हर परिवार ₹5000 का खादी खरीदता है तो देश में बेरोजगारों की संख्या में आधे से अधिक की कमी हो जाएगी।**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम सरदार पटेल ने किया

ब्यूरो

सरदार वल्लभभाई पटेल की स्थायी दृष्टि और भारत सरकार की एकता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दशार्ते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में सरदार पटेल विश्वविद्यालय में 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। आजादी का अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि में, सरकार का ध्यान समावेशिता, विकास और युवाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है, जो सरदार पटेल द्वारा पोषित आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है।

केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने भारत की नियति को आकार देने में सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा निभाई गई अमिट भूमिका पर जोर दिया। 16 दिसंबर, 2023 को आयोजित इस समारोह में श्री अमित शाह ने बताया कि कैसे सरदार पटेल की दूरदर्शिता और अथक प्रयास विविध रियासतों को एकजुट करने और उस मजबूत, एकीकृत भारत की नींव रखने में सहायक थे, जिसे आज हम जानते हैं। अगर सरदार पटेल ना होते तो देश का अस्तित्व ही नहीं होता। अग्रेजों के भारत से जाने के बाद पूरी दुनिया को लगता था कि हमारा देश बिखर जाएगा, लेकिन सरदार पटेल ने सभी रियासतों को मिलाकर भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उन्होंने कहा कि विभाजन की विभीषिका और मुश्किलें सहन करने वाले लोगों से मिलने पर पता लगता है कि सरदार पटेल कौन हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल ने पूरे देश में शरणार्थियों की चिंता और सुरक्षा की। आज जोधपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और लक्षद्वीप अगर भारत का हिस्सा हैं तो सिर्फ सरदार वल्लभभाई पटेल के कारण है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर सरदार साहब का सपना पूरा करने का काम किया है।

विभाजन की भयावहता और कठिनाइयों पर विचार करते हुए, श्री अमित शाह ने देश भर में शरणार्थियों की देखभाल और सुरक्षा के लिए सरदार पटेल की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमारे सामने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव से 2047 में आजादी के शताब्दी महोत्सव तक अगले 25 साल में भारत को विश्व में हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे भारत की रचना करने का समय यानि आजादी का अमृतकाल 2023 से 2047 तक के 25 वर्ष हैं। श्री शाह ने कहा कि आज कई छात्र अमृतकाल के शुरूआती वर्ष में अपनी शिक्षा पूर्ण कर प्रोफेशनल करियर में आगे बढ रहे हैं।

आज यहां से 15,754 छात्र ग्रेज्युएट होकर निकलेंगे, 106 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिले हैं जिनमें से 62 गोल्ड मेडल छात्राओं को मिले हैं। 106 में 62 गोल्ड मेडल छात्राओं को मिलना ये बताता है कि देश के पुनर्निर्माण और विकास में पुरुषों की तरह ही महिलाएं भी बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमृतकाल में अमृत संकल्प लेने का आहवान किया है। हर विद्यार्थी को अपने जीवन में छोटा सा एक संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि संकल्प आप के व्यक्तित्व को बनाने का काम करता है। देश के 130 करोड लोगों के छोटे छोटे संकल्प मिलकर महान भारत की रचना करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के तहत देश के युवाओं के लिए हर क्षेत्र में नई संभावनाएं खोली हैं। लक्ष्य तय करते हुए संभव की सीमा जानने के लिए असंभव लक्ष्य रखना चाहिए, तभी संभव की सीमा को जाना जा सकता है। श्री शाह ने कहा कि हमें शुरूआती असफलता से निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि हर सफलता की शुरूआत असफलता से ही होती है और असफलता पार किए बिना किसी को सफलता प्राप्त नहीं होती।

सहकारी संघवाद के युग में उदार तरीके से मतभेदों का समाधान

ब्यूरो

केंद्र और राज्य सरकार में बेहतर समन्वय से जब काम होता है, तो योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की यह बड़ी खूबी है। 10 दिसंबर, 2023 को पटना में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्य सरकारों की प्रशंसा करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओड़िशा ने गुड प्रैक्टिसेस को लेकर अच्छा प्रजेंटेशन दिया। इन गुड प्रैक्टिसेस से अन्य राज्यों को भी सकारात्मक कदम उठाने की प्रेरणा मिलेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री, श्री शाह ने पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ-साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र देश की सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ ही प्राचीन काल से आज तक अनेक प्रमुख शिक्षण संस्थानों का केन्द्र रहा है। पूर्वी क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे प्रयोग हुए और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूर्वी क्षेत्र के बच्चे ही सबसे ज्यादा सफल होते हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्वी क्षेत्र ने समग्र देश के औद्योगिक विकास की नींव रखी है और आजादी से पहले और बाद इस क्षेत्र के अनेक राष्ट्र भक्तों ने देश के पुनर्विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह क्षेत्र खनिज संपदा और पानी से संपन्न है और बिहार, उड़ीसा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों ने पूरे देश की जरूरतों के लिए लगभग सभी खनिज संसाधन उपलब्ध कराए हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने का जो विजन दिया है पिछले 9 साल में उसे चरितार्थ भी किया है। श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद

> **पूर्वी क्षेत्र देश की सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ ही प्राचीन काल से आज तक अनेक प्रमुख शिक्षण संस्थानों का केन्द्र रहा है। पूर्वी क्षेत्र ने समग्र देश के औद्योगिक विकास की नींव रखी है, आजादी से पहले और बाद इस क्षेत्र के अनेक राष्ट्र भक्तों ने देश के पुनर्विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की संख्या में हुई बढ़ोत्तरी के आंकडे देते हुए गृह मंत्री ने बताया कि 2004 से मई 2014 तक क्षेत्रीय परिषदों और इनकी स्थायी समितियों की बैठकों की कुल संख्या मात्र 25 थी और इस दौरान हर वर्ष औसतन 2.7 बैठकें आयोजित हुई। लेकिन वर्ष जून 2014 से अब तक पिछले 9 वर्षों में, कोविड-19 महामारी के बावजूद, क्षेत्रीय परिषदों और इनकी स्थायी समितियों की कुल 56 बैठकें हुई और हर साल औसतन 6.2 बैठकें आयोजित हुई। इस वर्ष अभी तक कुल 9 बैठकें हुई हैं जिसमें क्षेत्रीय परिषदों की चार और स्थायी समितियों की पाँच बैठकें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बैठकों की संख्या में दोगुनी से अधिक बढोत्तरी प्रधानमंत्री मोदी जी के टीम इंडिया कॉन्सेप्ट को उद्घोषित करती हैं।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषदों की राज्यों की समस्याओं पर फोकस करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने बच्चों में कुपोषण दूर करने, बच्चों का स्कूल छोड़ने का अनुपात कम करने, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार के मामले की त्वरित जांच और निपटान जैसे मुद्दों पर हर तीन महीने में मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा होने की बात कही।

जन-जन तक पहुंचे पीएम की योजना

राजकाज तभी सफल होता है जब सभी गृह राज्य मंत्री अपने-अपने राज्यों के नागरिकों के हितों से लेकर सुरक्षा को सर्वोपरि माने। वर्तमान समय में इस दिशा में देश के सभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जुटे हुए हैं और सभी भारत के विकास में अहम योगदान देंगें। विकास का यह मिशन प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में संभव हुआ है और जल्द पूरा होगा।

ब्यूरो

28 दिसंबर को मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ संकल्प यात्रा शुरू होने के पूर्व गोपालगंज के बरौली प्रखंड के सदौवां ग्राम में 'मोदी युवा संवाद' में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय सम्मिलित हुए। 27 दिसंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय विकसित भारत संकल्प यात्रा के पश्चात मकसूदपुर, गोपालगंज में मोदी किसान चौपाल में सम्मिलित हुए। किसानों के जीवन में जो खुशियां प्रधानमंत्री जी की योजना से पहुंच रही हैं, उससे किसान काफी खुश हैं और मोदी जी को मसीहा के रूप में देखते हैं। 17 दिसंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने एक्स पर पोस्ट किया कि बीते 9 वर्षों में 'सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक एक समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री निशिथ प्रमाणिक ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने और कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 19 दिसंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री निशिथ प्रमाणिक ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी का सर्वांगीण विकास हो रहा है। चाहे वह हमारे सभ्यतागत प्रतीकों का पुनरुद्धार हो या आधुनिक बुनियादी ढांचे को अपनाना हो। ₹19,150 करोड़ का हालिया अनुदान उस दिशा में एक और कदम है। 20 दिसंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री निशिथ प्रमाणिक ने एक्स पर पोस्ट किया कि अपराधियों के मन में कानून का भय और न्याय प्रक्रिया को सरल करता है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय मिश्रा ने 31 दिसंबर को युवा योद्धाओं और विधानसभा कोर कमेटी, फलटण, माढ़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (महाराष्ट्र) के सदस्यों के साथ बातचीत की। 28 दिसंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा- ग्राम जमुनिया विकास खंड लखीमपुर विधानसभा की कुछ तस्वीरें साझा कीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय मिश्रा ने 27 दिसंबर को अपने संसदीय कार्यालय पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें उन्होंने जनता की तकलीफें सुनीं और उनका निदान किया।

औपनिवेशिक विरासत से हटकर हैं नए आपराधिक कानून

एक जीवित दस्तावेज है संविधान। इसे सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करने और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कानूनों के माध्यम से लागू किया जाता है। नए अपराधिक कानूनों से केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दिखती है, जो इन संवैधानिक लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप सभी नागरिकों, खासतौर से समाज के कमजोर वर्गों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करेगी। पहले के आपराधिक कानून में गुलामी की बदबू थी और वे आम आदमी को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए भारतीय लोकाचार और समकालीन आवश्यकताओं से निपटने में असमर्थ थे। इस बाबत माननीय प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखता है। यह है कि 'तीन नए कानूनों ने सदियों पुराने औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों की जगह ले ली है, जिससे फोकस दंड देने से ज्यादा न्याय को प्राथमिकता देने पर केंद्रित हो गया है'।

डॉ. संजय सिंह
आई.एल.एस. (सेवानिवृत्त)

प्रौद्योगिकी के विकास और विकासशील समाज में बदलावों से अवगत रहने के लिए कानूनों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने के सरकार के संकल्प से सभी को सुलभ और त्वरित न्याय मिलेगा। इसके लिए गहन विचार-विमर्श और परामर्श की आवश्यकता थी। यह सब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह की देख-रेख में हुआ। इस विषय पर इन्होंने नौकरशाही, शिक्षा और पुलिस सहित समाज के विभिन्न वर्गों से आए सभी सुझावों पर गहराई से विचार किया।

नए आपराधिक कानूनों के तहत, पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि मामलों को निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए और अदालतों को एक निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न्याय देना अनिवार्य होगा। इन परिवर्तनों का स्वागत हो रहा है।

हमारे देश में अपराधों के प्राचीन कानून में सजा के कानून का बहुत महत्व है। सुक्र-नीति जो दंड को नियंत्रित करती है वह दंडनीति है, नीति को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शासन और मार्गदर्शन करती है (सुक्र-नीति 313-14)। मूल रूप से चार प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया था। यह हैं जुमार्ना (धनादंड), चेतावनी (धिक्कार), शारीरिक दंड (बधादंड) और सभी दंड संयुक्त। समय बीतने के साथ दो और रूप जोड़े गए। ये थे संपत्ति की जब्ती और सार्वजनिक अपमान। ऐसी सभी सजाएं वर्तमान कानून में लागू होती हैं।

नए कानूनों के साथ कई उल्लेखनीय प्रस्ताव भी शामिल हैं। राजद्रोह के प्रावधान को निरस्त करना, ब्रिटिश काल का एक अवशेष है, जिसका उपयोग लंबे समय से असहमति को दबाने के लिए किया जाता रहा है। अब फोकस 'सरकार के खिलाफ कृत्यों' (राजद्रोह) से बदलकर 'देश के खिलाफ कृत्यों' (देशद्रोह) पर कर दिया गया है। इनमें बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए कठोर दंड, साइबर अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया और संगठित अपराध, आतंकवाद, मॉब लिंचिंग, धोखेबाजी वाले तरीकों का उपयोग करके महिला के यौन शोषण को संबोधित करने वाले नए अपराधों की शुरूआत भी शामिल है। उल्लेखनीय परिवर्तन में देश के किसी भी हिस्से से शून्य-एफआईआर और ई-एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान, आसान पुलिस पहुंच सुनिश्चित करना और एफआईआर से आरोप पत्र तक न्याय देने और सामुदायिक सेवा की शुरूआत तक मामले की यात्रा के लिए एक निर्धारित समय सीमा सुनिश्चित करना शामिल है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का मुख्य उद्देश्य आरोपी व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के साथ मिश्रित निष्पक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करना है। साथ ही किसी के अधिकारों पर रोक लगाए बिना आरोपी व्यक्ति और पीड़ित दोनों के लिए न्यायसंगत और उचित मुआवजा सुनिश्चित करना है। इसे आधुनिक प्रथाओं के अनुरूप लाया गया है, जैसे-घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाना, बरामदगी की वीडियोग्राफी करना, कुछ जघन्य अपराधों में अपराधियों को पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाना।

गौरतलब है कि जांच, पूछताछ या परीक्षण के लिए संभावित डिजिटल साक्ष्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के उत्पादन के साथ-साथ परीक्षण, पूछताछ, कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जा सकती है। खास बात है कि 'दस्तावेजों' और 'सबूत' की विस्तारित परिभाषा के साथ प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से जांच और अभियोजन मजबूत होगा। मुझे इस बात की खुशी है नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संबंधित एजेंसियों और व्यक्तियों को प्रासंगिक तथ्य उपलब्ध कराने हेतु एक प्रशिक्षक के रूप में काम करने का महत्वपूर्ण कार्य पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को दिया गया है।

(पूर्व केंद्रीय विधायी सचिव और सदस्य-सचिव, भारत का विधि आयोग)

30 दिसंबर को गांधीनगर में एनसीडीएफआई ई-मार्केट अवार्ड 2023 समारोह आयोजित किया गया। इसमें डेयरी उद्योग में ई-मार्केटिंग को बढ़ावा देने वाले सदस्य संघों को सम्मानित करने को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने खुशी की बात बताया। साथ ही कहा, 'मुझे विश्वास है कि एनसीडीएफआई की यह पहल सहकारी डेयरी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी'। वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आणंद में एनसीडीएफआई मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखी। ₹32 करोड़ से बनने वाला यह मुख्यालय संगठन को निर्बाध रूप से संचालित करने और डेयरी क्रांति को गति देने में सुविधा प्रदान करेगा।

29 दिसंबर को उजियारपुर लोकसभा अंतर्गत उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर घटहो पंचायत में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय सम्मिलित हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर और मुद्रा योजना के तहत लोन भी दिया गया।

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में हुई भारी बारिश के बाद जलजमाव वाले केटीआर नगर क्षेत्र में फंसे लोगों की सहायता के लिए एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और उन्हें भोजन और राहत सामग्री वितरित की।

PLEASE SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE CHANNEL
POLICE AUR SEVA

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के यूट्यूब चैनल 'पुलिस और सेवा' के अंतर्गत एक वीडियो साझा की गई है, जिसे हर नागरिक को जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में बताया गया है कि साइबर अपराधी आपके जान पहचान के व्यक्ति का नकली फोटो लगाकर आप का भरोसा जीतकर पैसे मांगते हैं। इनसे बचने के लिए कान्टैक्ट या प्रोफाइल की डीपी को आंख बंद करके भरोसा ना करें। यह आपका फोन कंट्रोल कर सकते हैं। अनजान मोबाइल एप डाउनलोड करने से बचे। पैसे देने से पहले नॉमर्ल कॉल जरूर करें। साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जागरुकता के लिए फॉलो करें साइबर दोस्त।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन

https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते

BPRD

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia Bureau of Police Research & Development India https://bprd.nic.in